

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4754] No. 4754] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 3, 2018/अग्रहायण 12, 1940

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 3, 2018/AGRAHAYANA 12, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2018

का.आ. 5980(अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 3 के खण्ड (ख) के उप-खंड (iv) के अनुसरण में, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित उपकरणों को, जो कि उक्त उप - खण्ड में इंगित उद्देश्यों के लिए मानव में उपयोग हेतु आशयीत हैं, 1 जनवरी, 2020 से औषधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात :-

- (i) कणित्र ;
- (ii) रक्त चाप जांच उपकरण ;
- (iii) अंकीय ताप-मापक यंत्र ; और
- (iv) ग्लुकोमीटर।

[फा.सं. एक्स.11014/33/2018-डीआर] डॉ. मनदीप के भंडारी, संयुक्त सचिव

7047 GI/2018 (1)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2018

S.O. 5980(E).—In pursuance of sub-clause (iv) of clause (b) of section 3 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, hereby specifies the following devices intended for use in human beings for the purposes referred to in the said sub-clause as drugs with effect from the 1st day of January, 2020, namely:-

- (i) Nebulizer;
- (ii) Blood Pressure Monitoring Devices;
- (iii) Digital Thermometer; and
- (iv) Glucometer.

[F.No. X.11014/33/2018-DR]

DR. MANDEEP K BHANDARI, Jt. Secy.